[redacted]

राजस्व - [redacted]

उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

[redacted] सन् 2016 किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र

[redacted] बनाम [redacted]

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
[redacted] पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली [redacted] किया गया। पत्रावली के अवलोकन [redacted] है कि वाद ग्राम [illegible] से संबंधित वाद [illegible] है। मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित [illegible] होती है।	
अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध [illegible] संख्या (1) से (11) के इस आशय [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि ग्राम कुंभोली की आराजी नम्बर 30/1196 रकबा 00-11-10 बीघा की [illegible] व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।	

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द